

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या 1027 / 2012 / अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-ए, अलवर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स टायर पैलेस,
स्टेशन रोड, अलवर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थितः :

श्री वैभव कासलीवाल
उपराजकीय अभिभाषक
श्री ओ.पी.गुप्ता,
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक : 17/01/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वैट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 23 व 24 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 08.11.2011 के विरुद्ध राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी टायर ट्यूब का क्रेता व विक्रेता है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 23, 24 के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2011 को पारित किया जाकर व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि की चारों तिमाही बिक्री प्रपत्र वैट-10 विलम्ब से पेश किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अधीन शास्ति रु. 1,740/- आरोपित की गयी है। व्यवहारी ने ऑडिट रिपोर्ट में डिस्काउंट के रूप में रु. 2,86,966/- प्राप्त करना दर्शाया है जिससे यह साबित है कि व्यवहारी को रु. 2,86,966/- उसे लाभ स्वरूप बाद में प्राप्त होने का मालूम था। इसी कारण कर योग्य बिक्री कम मूल्य की दर्शाकर बनने वाला वैट (आउटपुट) विभाग को कम दिया जाकर करापवंचन किये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। व्यवहारी द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस के क्रम में प्रस्तुत जवाब को सक्षम अधिकारी द्वारा अमान्य किया जाकर अधिनियम की धारा 2(36) में दी गई विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार बिक्री उपरान्त प्राप्त कमीशन/डिस्काउंट (Ex Post Facto) बिक्री मूल्य ही माना है। अतः व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में प्राप्त कमीशन/डिस्काउंट की राशि को कर योग्य विक्रय राशि का भाग मानते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा इस पर 12.5 प्रतिशत से कर रु. 35,871/- एवं ब्याज रु. 10,044/- एवं धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 71,742/- कुल मांग रूपये 1,19,397/- आरोपित की गई। उक्त मांग के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी अपने निर्णय दिनांक 08.11.2011 के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार कर लिया गया। इस आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री वैभव कासलीवाल ने तर्क दिया कि Ex Post Facto Discount के आधार पर खरीद मूल्य को कम किया जाना अनुचित है। अतः उक्त आधार पर डिस्काउन्ट मूल्य को विक्रय मूल्य मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से विक्रय मानकर कर, शास्ति व ब्याज आरोपित किया है। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में भूल की है। अतः विभाग की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने तर्क में बताया कि कर निर्धारण अधिकारी ने डिस्काउन्ट मूल्य से विक्रय मूल्य बढ़ाने में भूल की है। विक्रय मूल्य धारा 2(36) के अनुसार के ग्राहक से वसूल किया जाता है, वह मूल्य होता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई Undervaluation साबित नहीं होती है। विक्रेताओं द्वारा जो क्रेडिट नोट दिये जाते हैं उससे उसकी खरीद लागत कम हो जाती है। जिसके कारण प्रभावी खरीद मूल्य कम होने से उसके द्वारा उसका कुछ हिस्सा अपने ग्राहकों को कीमत घटाकर दे दिया है। इसमें कोई अवैधानिक नहीं है। यह व्यापार जगत की व्यवहारिक नीति है। अतः कर निर्धारण अधिकारी का आदेश पूर्णतया अवैधानिक है जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई भूल नहीं की गयी है। अपने कथन के समर्थन में माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स प्रिया एजेन्सीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, व अन्य दिनांक 02.04.2008 का हवाला दिया। साथ ही टैक्स बोर्ड, अजमेर के (1.) अपील संख्या 1589 से 1597 / 2011 / जालौर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-जालौर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट एजेन्सीज, सायला व अन्य निर्णय दिनांक 18.06.2012 एवं (2.) अपील संख्या 690 / 2012 / भरतपुर सहायक आयुक्त, वृत्त-ए, भरतपुर बनाम मैसर्स श्री गोपाल सीमेन्ट एजेंसी, कामा भरतपुर निर्णय दिनांक 05.03.2013 का हवाला देकर आरोपित कर, शास्ति व ब्याज को अनुचित बताया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उद्धरित माननीय केरल हाईकोर्ट के निर्णय एवं कर बोर्ड के निर्णयों का सम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी से प्राप्त किये गये डिस्काउन्ट / कमीशन को समक्षम अधिकारी द्वारा विक्रय मूल्य मानकर उस पर 12.5 प्रतिशत से आरोपित किये गये कर व ब्याज के साथ-साथ करापवंचन के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 61 के अधीन आरोपित की गई शास्ति को विवादित किया गया है। उक्त सन्दर्भ में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का कथन है कि समक्षम अधिकारी द्वारा विवादित आदेश में अधिनियम की धारा 2(36) में दी गई विक्रय मूल्य की परिभाषा का मानमाने ढंग से गलत निष्कर्ष निकालते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गई खरीद पर विक्रेता व्यवहारी से प्राप्त डिस्काउन्ट / कमीशन (Ex Post Facto) को विक्रय मूल्य का भाग मानकर इस पर आरोपित किया गया कर, ब्याज व शास्ति विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। विवादित मामले में अधिनियम की धारा

2(36) जिसमें विक्रय मूल्य को परिभाषित किया गया है, का उल्लेख किया जाना भी समीचीन है। अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार :—

2 (36) Sale price- means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II.- Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or incentives of rebates or rewards and the like shall not be excluded;

उक्त धारा 2(36) की व्याख्या—II में स्पष्ट किया गया है कि बिक्री के समय दी जाने वाली नकद/व्यापारिक छूट, जो विक्रय बिल में दर्शायी गई है, को विक्रय में सम्मिलित नहीं किया जावेगा लेकिन विक्रय के पश्चात् जारी किये गये डिस्काउन्ट/इन्सेन्टिव/रिबेट व रिवार्ड आदि को विक्रय मूल्य में से कम नहीं किया जावेगा। उक्त धारा में कहीं भी यह प्रावधान नहीं किया गया है कि खरीद पर प्राप्त किया गया डिस्काउन्ट/इन्सेन्टिव/रिबेट व रिवार्ड आदि विक्रय मूल्य का भाग है। जबकि विवादित मामले में अपीलार्थी व्यवहारी ने क्रेता व्यवसायी की हैसियत से विक्रेता व्यवहारी से टायर की पर विक्रेता व्यवसायी से आलौच्य अवधि में डिस्काउन्ट/कमीशन प्राप्त किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रेता व्यवसाईयों को विक्रय के समय अथवा विक्रय के पश्चात् कोई डिस्काउन्ट/कमीशन नहीं दिया गया है। बल्कि उसके द्वारा विक्रेता व्यवसाई से टायरों की खरीद पर डिस्काउन्ट/कमीशन प्राप्त किया गया है। इसलिए अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधान विक्रेता व्यवसाईयों पर लागू होते हैं न कि क्रेता व्यवसाई पर।

अधिनियम की धारा 2(36) के Explanation-II में वर्णित any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards को विक्रय की गणना से पृथक नहीं माना है लेकिन विवादित मामले में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रेता व्यवसाईयों को ऐसा कोई डिस्काउन्ट नहीं दिया गया है बल्कि उसके द्वारा विक्रेता कम्पनी से डिस्काउन्ट प्राप्त किया गया है, जिसे उसके विक्रय मूल्य अथवा पण्यार्वत का भाग नहीं माना जा सकता। सक्षम अधिकारी द्वारा विवादित आदेश में अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानों को गलत तरीके से लिखते हुए आदेश में बिन्दु संख्या—15 के द्वितीय में अंकित किया गया है कि "वैट एक्ट की धारा 2(36) में दी गई Sale Price की परिभाषा के अनुसार बिक्री उपरान्त प्राप्त कमीशन/डिस्काउन्ट (Ex Post Facto) बिक्री मूल्य ही है तथा व्यवसायी के करयोग्य विक्रय का भाग है।" जबकि अधिनियम की धारा 2(36) के Explanation II में any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates" अंकित है। अर्थात् उक्त धारा में एक्स पोस्ट फेक्टो डिस्काउन्ट के सन्दर्भ में grant शब्द प्रयुक्त किया गया है जबकि सक्षम अधिकारी ने विवादित आदेश में एक्स फेक्टो डिस्काउन्ट के सन्दर्भ में grant शब्द के स्थान पर प्राप्त शब्द प्रयुक्त किया है जो विधिक दृष्टि से सही नहीं है। क्योंकि विवादित मामले में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा

आलौच्य अवधि में किसी भी क्रेता व्यवसायी को विक्रय के पश्चात् कोई एक्स पोस्ट फेक्टों डिस्काउन्ट grant नहीं किया गया है बल्कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा टायरों की खरीद पर विक्रेता व्यवहारी से एक्स पोस्ट फेक्टों डिस्काउन्ट प्राप्त किया गया है, जो अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानों के अनुसार विक्रय मूल्य का भाग नहीं है। इसलिए प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा टायरों की खरीद के पश्चात् विक्रेता व्यवहारी से जो छूट प्राप्त की गई है, वह अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार से विक्रय से प्रत्यक्षतः संबंधित consideration नहीं है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विक्रय मूल्य में जोड़ा जाना प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अधिनियम की धारा 2(36) में वर्णित विक्रय मूल्य की परिभाषा में consideration को महत्व दिया गया है तथ consideration की अवधारणा को मैसर्स इण्डियन पोटाश लि० बनाम सहायक आयुक्त, व अन्य (2002) 128 STC 446 (Mad) में निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :—

"consideration is even now understood as only the amount paid or payable by the buyer, which would also include the amounts payable by others on behalf of such, but would exclude amounts receivable by the sellers from others under a scheme to which the buyer is not a party."

उक्त विवरण से भी यह स्पष्ट होता है कि वह राशि जो क्रेता व्यवसायी द्वारा क्रय के संबंध में चुकायी जाती है, उसके अतिरिक्त कोई राशि consideration नहीं मानी जा सकती है। चूंकि विवादित मामले में भी प्रत्यर्थी व्यवहारी को जो कमीशन / डिस्काउन्ट की राशि प्राप्त हुई है, वह माल के विक्रेता व्यवहारी से प्राप्त हुई है। इसलिए उसे consideration का भाग नहीं माना जा सकता एवं ना ही उसे विक्रय मूल्य का भाग माना जा सकता है।

विवादित मामले में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी से प्राप्त कमीशन / डिस्काउन्ट को पर्यावत का भाग माना जा सकता है अथवा नहीं इसके विवेचन हेतु यहा पर अधिनियम की धारा 2(41) जिसमें टर्नओवर को परिभाषित किया गया है, का उल्लेख किया जाना भी समीचीन है। अधिनियम की धारा 2(41) के अनुसार —

2(41) "turnover" means the aggregate amount of sale price received or receivable by a dealer including purchase price of the goods which are subject to tax under sub-section (2) of section 4 [but shall exclude the sale price or part of sale price, if any, in respect of sales of goods which were purchased in the State by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or, where tax on maximum retail price of such goods were paid in the State on a earlier occasion]

अधिनियम की धारा 2(41) के अवलोकन से बिल्कुल स्पष्ट है कि उक्त धारा में डिस्काउन्ट / कमीशन को टर्नओवर का हिस्सा बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए अधिनियम की धारा 2(41) के प्रावधानों के अनुसार भी विवादित मामले में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी से प्राप्त डिस्काउन्ट / कमीशन को टर्नओवर का भाग नहीं माना जा सकता है।

विवादित मामले में यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को टायरों की उक्त खरीद के संबंध में जारी विक्रय बिलों में कोई डिस्काउन्ट/कमीशन नहीं दिया गया है बल्कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा विक्रय बिल जारी किये जाने के काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी व्यवहारी को जरिये क्रेडिट नोट उक्त डिस्काउन्ट/कमीशन दिया गया है, जिसे प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने नियमित लेखा—पुस्तकों एवं विभाग से प्रस्तुत दस्तावेजों में अलग से डिस्काउन्ट/कमीशन के हैड में दर्शाया गया है।

अधिनियम की धारा 2(36) व 2(41) के प्रावधानों के साथ—साथ उपर्युक्त वर्णित समस्त तथ्यों से यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि विवादित मामले में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी से टायरों की खरीद के पश्चात् प्राप्त किया गया डिस्काउन्ट/कमीशन विक्रेता व्यवहारी के विक्रय मूल्य का भाग है, न कि क्रेता प्रत्यर्थी व्यवहारी के विक्रय मूल्य का। इसलिए अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानों के अनुसार विक्रेता व्यवहारी का विक्रय बिलों के अनुसार पूर्ण कर राज्यकोष में जमा करवाने का दायित्व बनता है। बहस के दौरान विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उद्घरित न्यायिक निर्णय में माननीय केरला हाईकोर्ट द्वारा पिटीशनर को (Ex Post Facto) डिस्काउन्ट/कमीशन प्राप्त होने के फलस्वरूप उसके कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवर्स की गई आई0टी0सी0 के संबंध में दायर वाद में भी यह निर्णय दिया गया है कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा विक्रय के पश्चात् दिये गये डिस्काउन्ट के क्रम में क्रेता व्यवसायी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि उक्त सन्दर्भ में कोई कार्यवाही अपेक्षित है तो वह कार्यवाही विक्रेता व्यवसायी के विरुद्ध ही की जावेगी। इसी प्रकार राजस्थन कर बोर्ड, अजमेर के निर्णय (1.) अपील संख्या 1589 से 1597/2011/जालौर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त—जालौर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट एजेन्सीज, सायला व अन्य निर्णय दिनांक 18.06.2012 एवं (2.) अपील संख्या 690/2012/भरतपुर सहायक आयुक्त, वृत्त—ए, भरतपुर बनाम मैसर्स श्री गोपाल सीमेन्ट एजेंसी, कामा भरतपुर निर्णय दिनांक 05.03.2013 में भी इसी सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है।

यहा पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2011 को घोषित वर्ष 2011–12 के बजट में अधिनियम की धारा 18 में जोड़ी गई उप—धारा (3ए) का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है। उप—धारा (3ए) में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं :—

[(3A) Notwithstanding anything contained in this Act, where any goods purchased in the State are subsequently sold at subsidized price, the input tax allowable under this section in respect of such goods shall not exceed the output tax payable on such goods.]

उक्त उप—धारा (3ए) जो दिनांक 09.03.2011 से प्रभावी होगी में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि किसी भी खरीदे गये माल को उसके खरीद मूल्य से कम कीमत पर बेचे जाने पर खरीद पर प्राप्त आगत कर उसके विक्रय मूल्य पर देय कर से अधिक स्वीकृत नहीं किया जावेगा। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा वित्तीय बिल, 2011

के तहत अधिनियम की धारा 18 में जोड़ी गई उप-धारा (3ए) से भी यही स्पष्ट होता है कि दिनांक 09.03.2011 से पूर्व की अवधि में प्राप्त ट्रेड डिस्काउन्ट / कमीशन को विक्रय मूल्य एवं टैक्सेबल टर्नओवर का भाग नहीं माना जा सकता।

उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तथ्यों एवं उद्घरित न्यायिक निर्णयों पर विचार किये जाने के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को विक्रेता व्यवहारी से प्राप्त (Ex Post Facto) डिस्काउन्ट / कमीशन को अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानानुसार विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए विवादित आदेश में इस पर 12.5 प्रतिशत से आरोपित किया गया कर व ब्याज के साथ-साथ अधिनियम की धारा 61 के अधीन आरोपित शास्ति को विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता। अतः विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. फलतः विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

अमर सिंह - 1-4
(अमर सिंह)
सदस्य